



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाइट : <http://bsea.bihar.gov.in>, ईमेल : bseapatna@gmail.com

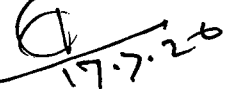
पटना/ दिनांक 17.7.2026

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ विधि 1-83/2026 1.7.3.8... प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-1573 दिनांक 25.06.2026 द्वारा बारा पैक्स, प्रखंड- मसौढ़ी, जिला- पटना के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था, जिसके अनुसार दिनांक 24.07.2026 को मतदान एवं मतगणना का कार्यक्रम निर्धारित है।

समादेश याचिका संख्या- 9742/2026 में दिनांक 13.07.2026 को माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जिसका Operative भाग है कि "the elections are allowed to take place, however, the results of the same shall not be declared"

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बारा पैक्स, प्रखंड- मसौढ़ी, जिला- पटना का निर्वाचन कार्यक्रम यथावत जारी रहेगा, किंतु निर्वाचन परिणाम घोषित करने पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है।

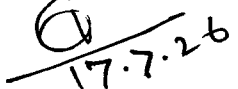

(कयूम अंसारी)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1738

पटना/ दिनांक 17.7.2026

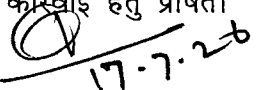
प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1738

पटना/ दिनांक 17.7.2026

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), पटना/ पुलिस अधीक्षक, पटना/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०), पटना/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना/ अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), मसौढ़ी एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1738

पटना/ दिनांक 17.7.2026

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/
परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री वेद प्रकाश, आईटी प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वेबसाइट
से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।


17.7.26
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1738

पटना/ दिनांक 17.7.2026

प्रतिलिपि: श्री मुकेश कुमार ठाकुर, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


17.7.26
संयुक्त सचिव।